UPST010023052026

न्यायालय–अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (ई0सी0) ऐक्ट, कोर्ट संख्या–4, सुलतानपुर।

उपस्थितः श्री जलाल मोहम्मद अकबर, एच0जे0एस0

(J.O. Code- UP 2691)

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–690/2026

श्रीमती निशा यादव पत्नी तेजप्रताप यादव,
साकिन हरबल्लमपुर, थाना दुर्गापत्ती, जिला भभुआ (बिहार)।

————————————अभियुक्ता

बनाम

राज्य

————————————अभियोगी

मुकदमा अपराध सं0 46/2025
धारा–318(4), 319(2), 303(2), 317(2) बी0एन0एस0
व धारा 66सी आई0टी0 ऐक्ट,
थाना साइबर क्राइम, जिला सुलतानपुर।

दिनांक 07.04.2026

प्रार्थिनी/अभियुक्ता श्रीमती निशा यादव की ओर से यह अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में अग्रिम जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थिनी/अभियुक्ता की ओर से इस आशय का शपथ–पत्र दिया गया है कि प्रार्थिनी का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष सुनवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है, इसके अलावां कोई अन्य जमानत प्रार्थना पत्र न तो न्यायालय के समक्ष, और न ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ के समक्ष न तो कभी दिया गया है, न विचाराधीन है, न ही निर्णीत हुआ है।

3. प्रथम सूचना रिपोर्ट के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा शैलेन्द्र सिंह सुलतानपुर का निवासी है। उसका मकान किराये के लिये खाली था इसलिये उसके द्वारा ओ0एल0एक्स0 ऐप के माध्यम से किरायेदारी का एडर्वटाईज दिया गया जिस पर दिनांक 02.09.2025 को उसके घर पर एक व्यक्ति जिसने अपना नाम अजय सिंह यादव आया जिसको उसने अपना मकान 7000/– रूपये किराये पर दे दिया। कुछ दिन रहने के बाद उक्त व्यक्ति वादी से व उसके परिवार से काफी घुलमिल करके शेयर मार्केट में ट्रेडिंग का कार्य दिलाने के बहाने उसका पैसा दो–तीन गुना ज्यादा देने का लालच देकर छलपूर्वक उसका व उसकी पत्नी मंशा सिंह से करीब 13,50,000/–रू0 आनलाईन ठग लिया। इसके अलावा उसके द्वारा कपटपूर्ण आशय से छलपूर्वक अपने निजी, लाभ के लिए वादी के मोबाईल का

उपयोग करके उसके फोन में मनी ब्यू ऐप डाउनलोड करके उसके फोन से वादी के नाम से 4,50,000/–रू0 का फर्जी लोन एवं फिन क्राप ऐप डाउनलोड करके उसके फोन से 2,50,000/– रू0 का उसके नाम से फर्जी लोन लेकर उक्त फर्जी लोन का पैसा यह कहकर डलवाया कि आपके खाते में जो पैसा आया है वह मेरा है उसको मुझे दे दीजिए एवं उक्त पैसा जिसमें से 2,00,000/–रू० 12.09.2025 को निकलवाकर तथा 3,50,000/–रू0 दिनाँक 16.09.2025 को निकलवाकर उस पैसे में से लगभग 3,50,000/– रू0 उसनें अपने किसी परिचित को एक्सिस बैंक के खाते में नगद व स्लिप पर्ची लगभग 56,000/–रू0 की ट्रांसफर कर दिया तथा लोन एमाउण्ट का शेष पैसा उसने वादी की यूपीआई से अपने परिचितों को ट्रान्सफर कर दिया। इस तरह कुल मिलाकर लगभग 19,00,000/–रू0 का फ्राड कर लिया। वादी का समस्त बचत का पैसा ठगकर तथा वादी के नाम से लोन कराकर लोन का पैसा भी अपने साथ ले जाकर उसे बरबाद कर दिया।

4. प्रार्थिनी/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क रखा है कि प्रार्थिनी का कोई आपराधिक इतिहास नही है और न ही आज तक किसी मुकदमें में सजा हुई है। प्रार्थिनी को उक्त मुकदमें में स्थानीय थाना पुलिस व विवेचनाधिकारी द्वारा गिरफ्तार करने हेतु उसके घर पर बार–बार दविश दी जा रही है एवं उसकी गिरफ्तारी के लिये स्थानीय थाना पुलिस एवं विवेचनाधिकारी द्वारा बार–बार अन्य विभिन्न तरीकों से प्रताड़ित किया जा रहा है, जिससे प्रार्थिनी को किसी भी समय अपनी गिरफ्तारी की पूर्ण आशंका व संशय गतिमान है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थिनी नामजद नहीं है, प्रथम सूचना रिपोर्ट काफी विलम्ब से अंकित करायी गयी है तथा विलम्ब का कोई स्पष्टीकरण नही दर्शित किया गया है। प्रार्थिनी का पति तेज प्रताप कपड़े की फेरी का व्यवसाय करता है। स्थानीय थाना पुलिस ने प्रार्थिनी के पति को उक्त मुकदमें में फर्जी ढंग से चालान कर दिया। प्रार्थिनी को सह अभियुक्त अजय यादव के बयान पर उक्त मुकदमें में स्थानीय थाना पुलिस ने अभियुक्त बनाया है। जी०डी० नं0 5 के पेज नम्बर–2 पर अभियुक्त तेज प्रताप ने फ्राड का रूपया मैं रंजन यादव के खाते में स्थानान्तरण करता हूं, जबकि प्रार्थिनी सह अभियुक्त रंजन यादव को पहचानती नही है, न ही अभियोजन पक्ष के पास ऐसा कोई स्वतंत्र साक्ष्य है, जिससे प्रार्थिनी के खाते में रूपया आना प्रतीत हो। तथाकथित घटना स्थल से किसी भी वस्तु की बरामदगी प्रार्थिनी के पास से नही हुयी है। प्रार्थिनी के विरूद्ध उक्त धारा का कोई अपराध नही बनता है। यदि स्थानीय थाना पुलिस अपनी मंशा में कामयाब हो गयी और प्रार्थिनी की गिरफ्तारी कर लिया तो प्रार्थिनी की अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क रखा है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा से छलपूर्वक लगभग मु0 19,00,000/– रूपये का फ्राड करके आर्थिक क्षति पंहुचाई गयी। प्रार्थिनी/अभियुक्ता द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। प्रार्थिनी/अभियुक्ता की

अग्रिम जमानत निरस्त किये जाने की याचना की गयी हैं।

6. अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र पर उभय पक्ष को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों/पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अभियोजन प्रपत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को छलपूर्वक मु0 19,00,000/–रूपये का फ्राड करके आर्थिक क्षति पंहुचाने का आक्षेप लगाया गया है। सी0डी0 के पर्चा नम्बर 08 में दौरान विवेचना अभियुक्ता का नाम प्रकाश में लाया गया है। सम्बन्धित अभियोग प्रथम दृष्टया आर्थिक अपराध की श्रेणी में होना दर्शित है जिसकी विवेचना अभी प्रचलित है। पत्रावली पर इस स्तर पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह निष्कर्ष आधारित किया जा सके कि प्रार्थिनी/अभियुक्ता को मात्र अपमानित करने या क्षति पंहुचाने के उद्देश्य से उक्त प्रकरण में गिरफ्तार किया जा सकता है।

8. अतः अपराध की प्रकृति व प्रकरण में अभियुक्त की संलिप्तता/भूमिका तथा मामले के समस्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुण–दोष पर टिप्पणी किये बिना आवेदिका/अभियुक्ता का जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थिनी/अभियुक्ता श्रीमती निशा यादव की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–690/2026, मुकदमा अपराध संख्या–46/2025, अन्तर्गत धारा–318(4), 319(2), 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 व धारा 66सी आई0टी0 ऐक्ट, थाना साइबर क्राइम, जिला सुलतानपुर निरस्त किया जाता है।

(जलाल मोहम्मद अकबर)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(ई0सी0 ऐक्ट)/कोर्ट संख्या–4 सुलतानपुर।
(J.O. Code- UP 2691)

दिनांक–07.04.2026

Abhishek Mishra
(Steno)

Digitally signed by JALAL MOHAMMAD AKBAR
Date: 2026.04.09 14:30:21 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court